न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्या:–210/2023 (GCMS No. 2023/218) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. हनीफ
2. नजीर
3. खुर्शीद
4. साईद

} पिसरान अमरसिंह जाति मेव निवासी ग्राम सहालपुर तहसील पहाडी जिला भरतपुर हाल जिला डीग

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. वशीरी पत्नी ममरेज जाति मेव निवासी ग्राम सहालपुर तहसील पहाडी हाल आवाद ग्राम गोगेज तहसील तावडू जिला नूह मेवात हरियाणा।
2. ग्राम पंचायत धोलेट जरिये सरपंच ग्राम पंचायत धोलेट तहसील पहाडी जिला भरतपुर हाल जिला डीग।
3. हजरी वेवा वशीर
4. आसीन पुत्र वशीर
5. हारून पुत्र वशीर

} जाति मेव निवासी ग्राम सहालपुर तहसील पहाडी जिला भरतपुर हाल जिला डीग।

.....रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 01.08.2008 उपखण्ड अधिकारी कामां अपील संख्या 22/06 उनवानी वशीरी बनाम ग्राम पंचायत धोलेट बावत् नामान्तकरण संख्या 192 दिनांक 26.11.1978 ग्राम सहालपुर।

उपस्थिति:–

1. अपीलान्ट्स की ओर से श्री पंकज कुमार, वकील

नि र्ण य

दिनांक : 21.02.2024

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी कामां के आदेश दिनांक 01.08.2008 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वशीरी ने ऐसा कोई रिकार्ड पेश नहीं किया जिससे वो अपने आपको स्व. अमरसिंह की पुत्री साबित कर सके।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

दाखिल खारिज संख्या 192 करीब 33 वर्ष पूर्व स्वीकृत हुआ। इतने लम्बे अरसे तक वशीरी ने दाखिल खारिज के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रिकार्ड का अवलोकन किये मात्र रेस्पो. संख्या 3, 4, 5 द्वारा पेश राजीनामा के आधार वशीरी की पुत्री मानते हुये नामांतरकरण पुनः निर्णय हेतु अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.08.2008 से तहसीलदार को रिमाण्ड कर दिया गया। जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस अनुपस्थित।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस विद्धान वकील अपीलान्टस द्वारा अपील मीमो एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के तथ्यों को दोहराते हुये सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि आदेश दिनांक 01.08.2008 की प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं थी। यह निर्णय गलत तामील के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये पारित किया गया है। दिनांक 15.04.2012 को अप्रार्थी वशीरी द्वारा अपने परिवार के साथ गांव आकर प्रार्थीगण को धमकी दी कि तुम्हारे नाम खुले नामांतरकरण को खारिज करा दिया। तब उपखण्ड अधिकारी कामां में जानकारी करने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। पत्रावली रिकार्ड रूम में जमा होने पर प्रार्थीगण ने दिनांक 16.04.2012 को नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 20.04.2012 को प्राप्त हुई। तब अपील होने जानकारी के अन्दर मियाद पेश की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। इसके बाद कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दर्ज रेस्पो. संख्या 2 शरीफन वेवा अमरसिंह जो अपीलांटस की मां है का देहान्त अपील के निर्णय से पूर्व हो गया। रेस्पो. संख्या 3 ,4 व 5 द्वारा जो राजीनामा दिनांक 08.07.08 को पेश किया उसमें स्वयं उन्होंने माना है कि शरीफन की मृत्यु हो चुकी है। मृत व्यक्ति के खिलाफ आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश देने से पूर्व अपीलांटस पर हुई तामील का अवलोकन नहीं किया गया। अपीलांटस पर कोई तामील नहीं हुई। किसी एक व्यक्ति के सम्मन पर किसी अन्य व्यक्ति की अंगूठा निशानी है व किसी अन्य के पर किसी और के हस्ताक्षर हैं। अपीलांटस को सुनवाई क अवसर नहीं मिला।अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वशीरी ने ऐसा कोई रिकार्ड पेश नहीं किया जिससे वो अपने आपको स्व. अमरसिंह की पुत्री साबित कर सके। दाखिल खारिज संख्या 192 करीब 33 वर्ष पूर्व स्वीकृत हुआ। इतने लम्बे अरसे तक वशीरी ने दाखिल खारिज के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रिकार्ड का अवलोकन किये मात्र रेस्पो. संख्या 3, 4, 5 द्वारा पेश राजीनामा के आधार वशीरी की पुत्री मानते हुये

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

नामांतरकरण पुनः निर्णय हेतु अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.08.2008 से तहसीलदार को रिमाण्ड कर दिया गया। रेस्पो. संख्या 1 ने अपील करीब 33 साल बाद पेश की और अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील का मैरिट पर निर्णय करने से पूर्व मियाद के संबंध में कोई निर्णय नहीं किया। रेस्पो. ने धारा 96 सी.पी.सी. का कोई प्रार्थना पत्र तहत न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की इजाजत हेतु प्रस्तुत नहीं किया। रेस्पो. संख्या 1 ग्राम पंचायत के निर्णय दिनांक 26.11.2008 में पक्षकार नहीं थी। इस कारण बिना प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के अपील प्रस्तुत नहीं कर सकती थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4, 5 द्वारा पेश राजीनामा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने फैसला दिया है उनका विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4, 5 अपने हिस्से की सम्पूर्ण आराजी का बेचान कर चुके हैं। अब रेस्पो. संख्या 1 के साथ मिलकर अपीलांटस के हक को मारना चाहते हैं। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कामां का अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.08.2008 निरस्त कर आज्ञा ग्राम पंचायत दिनांक 16.11.1978 बावत् नामांतरकरण संख्या 192 सहालपुर बहाल रखी जावे।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर अपीलांटस द्वारा दिये गये तर्कों को नजरअंदाज किया जाना उचित नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। माननीय न्यायालयों के समय–समय पर पारित निर्णयों में मयाद के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने का अभिमत प्रतिपादित किया गया है ताकि मामलों में उभयपक्ष की उचित सुनवाई होकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित हो। अतः अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है और विलम्ब अवधि को माफ किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

6. अपीलांटस की तामील सही प्रकार से हुई है। यह कथन कि उनको तामील प्रोपर नहीं हुई गलत है। अपीलांटस को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। तहत न्यायालय में राजीमाना प्रस्तुत किया गया जिसका परीक्षण कर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अंतिम नहीं है जैसाकि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार पहाडी को उभयपक्ष की पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान कर मृतक अमरसिंह के वारिसान की जॉच कर नामांतरकरण संख्या 192 को पुनः निर्णीत करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है जहॉ उभयपक्ष को अपना–अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर है

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

और मृतक अमरसिंह के वारिसान की जॉच हो पायेगी। दौराने बहस विद्धान अभिभाषक अपीलांटस द्वारा दी गई दलीलों से हम सहमत नहीं है तथा उनकी अपील उक्त विवेचन के मध्येनजर इस स्तर पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

7. फलस्वरूप अपीलांटस की अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.08.2008 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशु राम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर